न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.

दिनांक 19-12-2020

क्रमांक: कोर्ट / 2020 / 4547

राजस्व प्रा.पत्र. संख्या 154 / 2020

प्रेषिति :–

तहसीलदार
सिरोही

उपतहसीलदार कालन्द्री तहसील सिरोही द्वारा जरिये पत्र कमांक भू.अ./2020/585 दिनांक 8–12–2020 के संलग्न प्रार्थीया श्रीमती उसमकुंवर पत्नी करणसिंह राजपूत निवासी मोहब्बनगर का प्रार्थना पत्र व मौजा फुंगणी तहसील व जिला सिरोही वर्तमान जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता संख्या नया 213 के खसरा नंबर 196 व 203 किता 2 कुल क्षेत्रफल 3.2200 हेक्टेयर प्रार्थीया उसम कुंवर तंवर धर्मपत्नि करणसिंह जाति राजपूत निवासी मोहब्बतनगर का प्रार्थना पत्र दिनांक 1–12–2020 मय पटवार हल्का फुंगणी की जांच रिपोर्ट दिनांक 8–12–2020 पुरानी जमाबंदी संवत 2050 से 2053 खाता संख्या नया 194 राशनकार्ड व आधारकार्ड तथा वोटर कार्ड की प्रति भेजकर निवेदन किया है कि प्रार्थीया श्रीमती उसमकुंवर पत्नी करणसिंह राजपूत निवासी मोहब्बतनर ने इस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम फुंगणी पटवार हल्का फुंगणी मे स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 196 व 203 किता 2 कुल रकबा 3.22 हेक्टेयर मे अपना शुद्व नाम दर्ज करने हेतू निवेदन किया है। पटवारी हल्का फुंगणी की जांच रिपोर्ट एवं प्रस्तुत साक्ष्य अनुसार प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि वर्ष 1997 मते कय की गई थी जिसका नामान्तकरण संख्या 368 दिनांक 9–1–1997 के द्वारा जमाबंदी संवत 2050–2053 के खाता संख्या 6 मते अमल दरामद हुआ था । इसमे प्रार्थीया का नाम उषमकुंवर पत्नी करणसिंह दर्ज हुआ था किन्तु वर्तमान बंदोवस्त के पश्चात तैयार जमाबंदी संवत 2063–2066 के खाता संख्या 194 मते उषवकुंवर पत्नी करनसिंह दर्ज हो गया जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 213 मते यथावत अंकित है। प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम उसमकुंवर पत्नी करणसिंह है जो उसके अन्य दस्तावेजों यथा परिवार राशन कार्ड ,आधार कार्ड ,व मतदाता पहचान पत्र इत्यादि मे भी दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीया का नाम चालू जमाबंदी मे उषवकुंवर के स्थान पर उसमकुंवर दर्ज करना उचित है। हमने प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय उक्त वर्णित त दस्तावेज प्रतियो व पटवारी हल्का फुंगणी की जांच रिर्पोट ,तथा उपतहसीलदार कालन्द्री की उक्त अनुशंषा रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन कर विवेचन के उपरान्त उक्त सभी के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित होने से राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सिरोही भूमिधारी को पुनःमूल प्रस्ताव मय राजस्व रेकर्ड की प्रतियॉं के भेजकर आदेश दिये जाते है कि प्रस्तावानुसार वर्तमान जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या 213 मे प्रार्थीया के गलत दर्ज नाम उषबकुँवर के स्थान पर उसमकुँवर की शुद्वि कर दर्ज/राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिर्पोट एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:57:38 IST
Reason: SelfAttested